

दिख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
-----	--	-----------------------------------

पक्षकार/पक्षकारान क आदेश

11/11/21  
 पीठासीन अधिकारी की मितिग मे/अवकाश  
 अवकाश के लिए प्रस्ताव  
 उनके समक्ष दिनांक 12-3-21  
 प्रस्ताव दिये है

12/3/21) वकुलाम उपर आक्रमण की हेतु लघु  
 पत्र जो कि न्यायाधीश में दिये गये  
 है। वकील वादी के निवेदन पर लघु  
 अज्ञानता अवकाश दिये जाया जाता है।  
 निम्न आदेश वादी हेतु दिनेशु: 23/3/21  
 के पत्र है।

23/3/21) पत्रावली फर्क हुई। वकील वादी  
 अनुपस्थित / वकुलाम एवं पक्षकारानु के  
 आवाजे लगावई गई। परन्तु वकुलाम एवं  
 पक्षकारानु गैर हाजिर रहे। अतः वकील  
 वादी का वाद अज्ञान हाजरी एवं अज्ञान  
 धरती में खारिज किया जाता है। निम्न  
 अज्ञान नम्बर है कम होकर दाखिल  
 दफ्तर है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
 जिला न्यायाधीश